

>

Title: Need to provide loans at concessional rates to horticulture sector and for purchase of milch animals.

श्री नाययण सिंह अमलाबे (राजगढ़): वर्तमान में किसानों द्वारा कृषि कार्य हेतु लिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर 3 प्रतिशत निर्धारित है। डेयरी व्यवसाय तथा उद्यानिकी भी कृषि का पूरक व्यवसाय है, लेकिन इसके बावजूद भी पशु क्रय व उद्यानिकी हेतु लिए जाने वाले ऋण पर कोई ब्याज अनुदान नहीं दिया जाता है। इनके लिए भी सरकार को 3 प्रतिशत ब्याज दर ही ऋण प्रदाना किया जाना चाहिए। पशु उप्रेक व कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाए जाने के लिए यह अति आवश्यक है।